27/12/22 पत्रावली आज पेश हुयी वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली प्रति आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 146/2022

प्रार्थीगण :–

1. कृष्णाराम पुत्र मोटाराम
   कौम माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केसाराम पुत्र रूडाराम
2. छोगाराम पुत्र रूडाराम
3. भूपाराम पुत्र रूडाराम
4. मोहनराम पुत्र रूडाराम
5. रायमलराम पुत्र सोनाराम
6. सांवलाराम पुत्र टीलाराम कौम माली साकिन राठौड़ों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
7. दुर्गसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत साकिन राठौड़ों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
8. प्रतापाराम पुत्र रूडाराम कौम रबारी
9. रमेश कुमार पुत्र हरिलाल जोशी निवासी गुड़ामालानी तहसील
10. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1377/2, 1377/6, 1443/5, 1443/7 रकबा कमशः 0.7446, 0.5099, 0.2914, 0.7122 हैक्टेयर एवं ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.0846 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1377/2, 1377/6, 1443/5, 1443/7 रकबा क्रमशः 0.7446, 0.5099, 0.2914, 0.7122 हैक्टेयर एवं ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा संख्या 1050/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27/12/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:51 IST
Reason: SelfAttested